भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3417

उत्तर देने की तारीख: 15.07.2019

चार वर्षीय बी.एड. पाठ्यक्रम

3417. श्री एस. वेंकटेशनः

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या शिक्षक शिक्षा के लिए चार वर्षीय बी.एड. पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और शिक्षक बनने के लिए व्यक्ति की क्या अर्हता होना आवश्यक है; और

(ग) चार वर्षीय बी.एड. पाठ्यक्रम करने के पश्चात् नियुक्त शिक्षकों का वेतनमान क्या होगा?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्री

(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क) और (ख): राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) द्वारा अनुमोदित 4 वर्षीय बी.एड. पाठ्यक्रम के साथ तीन एकीकृत कार्यक्रम हैं। दिनांक 29 मार्च, 2019 की अधिसूचना द्वारा एक कार्यक्रम 2014 में और प्राथमिक (पूर्व प्राथमिक सहित) और माध्यमिक, विज्ञान और कला दोनों स्ट्रीम के लिए अंतर्निहित विशेषज्ञता युक्त दो अन्य चार वर्षीय एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों (आईटीईपी) को अधिसूचित किया गया था।

स्कूलों में एक व्यक्ति की शिक्षक के रूप में नियुक्ति हेतु, एनसीटीई ने समय-समय पर संशोधित अधिसूचना सहित दिनांक 25 अगस्त, 2010 के अधिसूचना के अनुसार न्यूनतम अर्हता को अधिसूचित किया है। यह ब्यौरा htpp://ncte.gov.in/Website/MinimumQualifications.spx. पर उपलब्ध है।

(ग): जैसाकि शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का विषय है शिक्षकों की भर्ती और सेवा शर्तें, संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य प्रशासन के अधिकार क्षेत्र में आती हैं०।

****